अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधान सभा के समक्ष रखवाएंगे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 15 अनुदान/विनियोग प्रशासित किए। व्यय का अनुमान व्यय के 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दर्शाता है तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, जो विभिन्न विभागों को अगले वित्त वर्ष के लिए अपने अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. में बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट

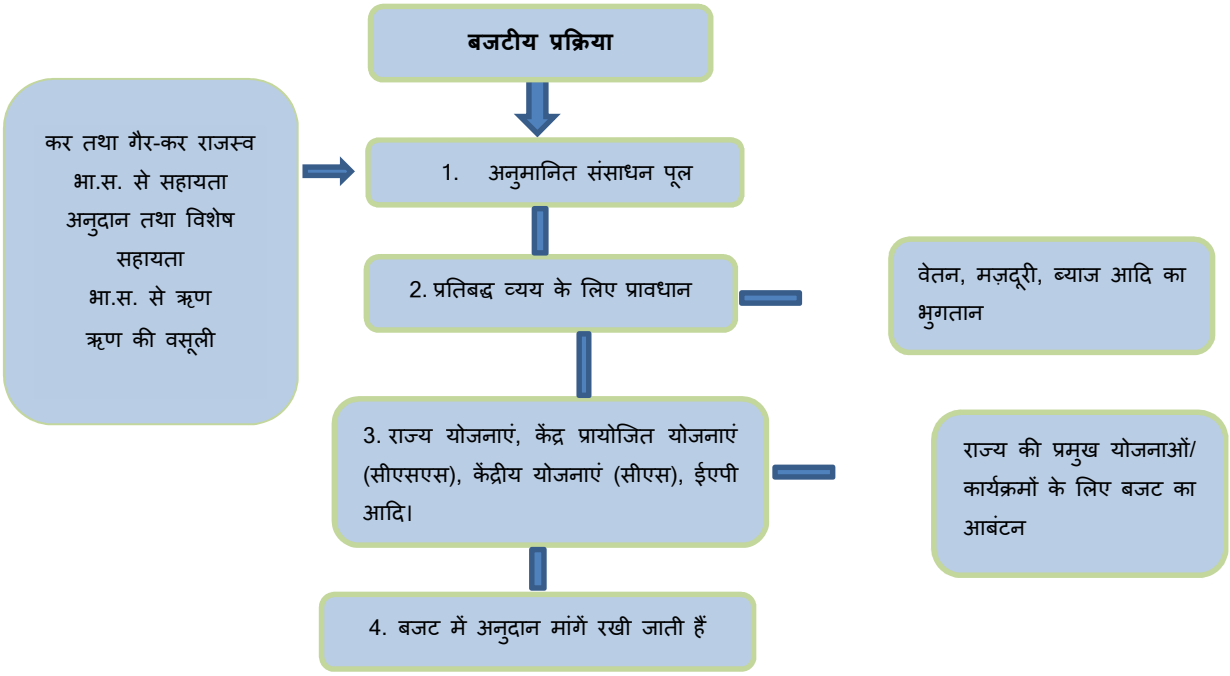

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट

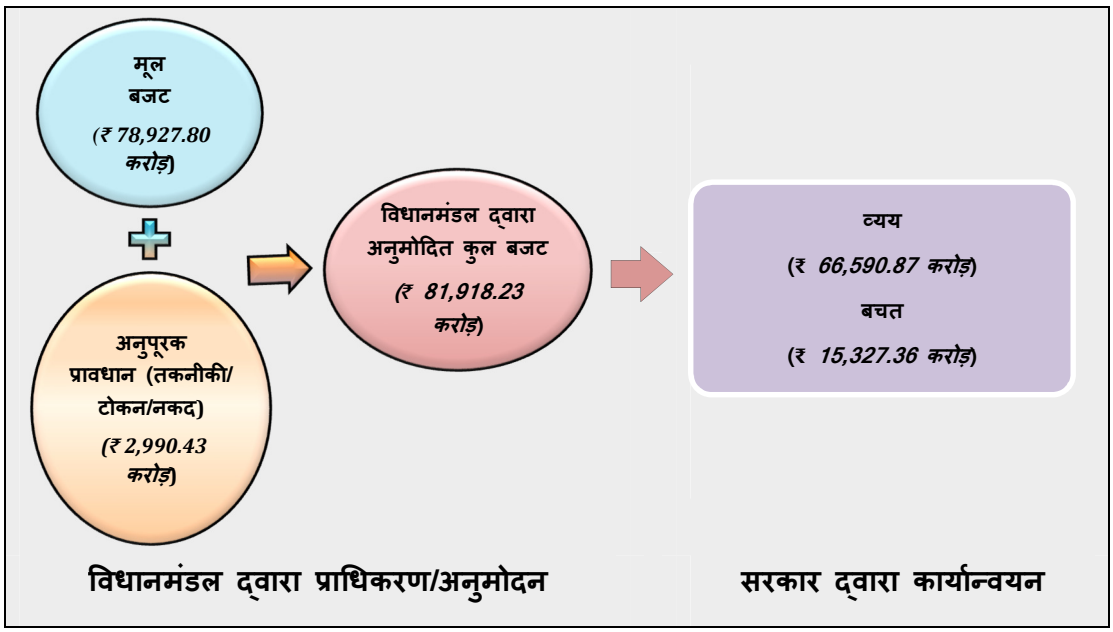

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखे

इस प्रकार, विधानमंडल द्वारा अधिकृत बजट का 18.71 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा खर्च नहीं किया जा सका।

3.1.1 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का संक्षिप्त विवरण

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1: 2019-20 से 2023-24 के दौरान संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत *(प्रतिशत में)*	प्रभारित *(प्रतिशत में)*
2019-20	57,305.74	6,874.94	45,632.91	5,877.12	11,672.83 *(20.37)*	997.82 *(14.51)*
2020-21	58,932.64	6,959.23	46,442.27	6,453.49	12,490.37 *(21.19)*	505.74 *(7.27)*
2021-22	63,998.48	8,082.60	53,660.30	7,881.70	10,338.18 *(16.15)*	200.90 *(2.49)*
2022-23	70,566.96	8,561.32	56,519.08	8,493.49	14,047.88 *(19.91)*	67.83 *(0.79)*
2023-24	73,016.31	8,901.92	57,834.91	8,755.96	15,181.40 *(20.79)*	145.96 *(1.64)*

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर व्यय करने के लिए ₹ 81,918.23 करोड़ की परिकल्पना की थी, जिसके प्रति निवल संवितरण/व्यय ₹ 65,823.87 करोड़[1] था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,094.36 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, संवितरण/व्यय ₹ 56,896.04 करोड़ की कुल प्राप्तियों के लगभग बराबर रहा, जो स्वीकृत बजट का लगभग 70 *प्रतिशत* था। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय का अनुमान लगाना अपर्याप्त बजटीय प्रक्रिया का सूचक था। पांच वर्ष की अवधि (2019-24) में कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की तुलना में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की तुलना में बजट उपयोग की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	निवल व्यय	प्राप्ति	कुल बजट में निवल व्यय[2] की प्रतिशतता	कुल बजट में प्राप्ति की प्रतिशतता
2019-20	64,180.68	51,186.25	52,724.06	79.75	82.15
2020-21	65,891.87	52,468.04	57,860.08	79.63	87.81
2021-22	72,081.08	61,172.34	61,128.44	85.00	85.00
2022-23	79,128.28	64,110.34	67,211.72	81.02	84.94
2023-24	81,918.23	65,823.87	56,896.04	80.35	69.45

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान (दत्तमत और प्रभारित) की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे ***सकल आधार*** पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पित राशियों और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा बजट की प्रभारित और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझने में मदद करते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

---

[1] ₹ 66,590.87 करोड़ - ₹ 767.00 करोड़ (वसूलियां)

[2] सार्वजनिक ऋण की चुकौती शामिल हैं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत हैं या नहीं। यह, यह भी सुनिश्चित करती है कि किया गया व्यय कानून, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं। इस अध्याय में वर्ष 2023-24 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. के द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

3.2.1 बजट लक्ष्यप्राप्ति

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है जिस सीमा तक कुल बजट व्यय आउटटर्न/वास्तविक व्यय अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों स्थितियों में मूल अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट (ब.अ.)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और ब.अ. के बीच अंतर
राजस्व	57,111.11	51,093.88	6,017.23
पूंजीगत	21,816.69	15,496.99	6,319.70
कुल	**78,927.80**	**66,590.87**	**12,336.93**

राजस्व खंड में, ब.अ. की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन (-) 10.54 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों में (-) 22.68 से 25 *प्रतिशत*, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* और एक अनुदान में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.1)**।

पूंजीगत खंड में, ब.अ. की तुलना में वास्तविक व्यय में कुल विचलन (-) 28.97 *प्रतिशत* था। यह एक अनुदान में 0 से 25 *प्रतिशत,* तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत*, नौ अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत खंड में दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.2)**।

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनःआबंटन ने व्यय संरचना में किस हद तक भिन्नता में योगदान दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब.अ.)	स्वीकृत बजट (एसबी) (ओ+एस)	वास्तविक आउटटर्न	ब.अ. और एसबी के बीच अंतर	वास्तविक और एसबी* के बीच अंतर
राजस्व	57,111.11	58,755.52	51,093.88	1,644.41	(-)7,661.64
पूंजीगत	21,816.69	23,162.71	15,496.99	1,346.02	(-)7,665.72
कुल	**78,927.80**	**81,918.23**	**66,590.87**	**2,990.43**	**(-)15,327.36**

** संशोधित अनुमान के प्रति वास्तविक के आधिक्य को (+) अंक से दर्शाया गया है तथा मूल प्रावधान के प्रति वास्तविक की कमी को (-) अंक से दर्शाया गया है।*

राजस्व खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन (-) 13.04 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों में (-) 22.68 से 25 *प्रतिशत* तक, दो अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और दो अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.1)**।

पूंजीगत खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन (-) 33.10 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदानों में 0 से 25 *प्रतिशत* तक, दो अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक तथा नौ अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* तक के विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत खंड में, दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.2)**।

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

संक्षिप्त ब्योरा

सभी अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत के कुल 25 मामलों में से, 20 मामलों की जांच विभागीय अभिलेखों के आधार पर की गई और इन में से 14 मामलों के संबंध में बचत के कारण एक जैसे पाए गए। शेष छः मामलों में, बचत के कारणों में भिन्नता पाई गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में बताया गया है।

इसके अतिरिक्त, अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण को पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्ति की समीक्षा हेतु विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इस अनुदान के अंतर्गत, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, लगातार बचत और व्यय की अधिकता के कारणों की भी विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई और एक जैसे पाए गए।

3.3.1 अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक मांग का सहारा केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध या उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,625.43 करोड़ के अनुपूरक अनुदान, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में बताया गया है, उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। तथापि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य विफल हो गया।

3.3.2 अनावश्यक या अधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में, जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है।

वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छः अनुदानों में फैले 23 उप-शीर्षों में ₹ 612.16 करोड़ के अनावश्यक पुनर्विनियोग किए गए थे, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे और ₹ 1,227.53 करोड़ की संचयी बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक) हुई थी, जो अपर्याप्त बजट प्रक्रिया का सूचक था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में बताया गया है।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, पूर्वानुमानित होने पर तुरंत अभ्यर्पित कर देना चाहिए। भविष्य में संभावित अतिरिक्त व्यय के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए।

छः अनुदानों **(परिशिष्ट 3.6)** में, ₹ 60,056.56 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति, वास्तविक व्यय ₹ 48,180.20 करोड़ था और बचत ₹ 11,876.36 करोड़ थी (प्रत्येक

मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक)। इसके अतिरिक्त, मूल बजट प्रावधान में से उल्लेखनीय बचत के बावजूद, अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए **(परिशिष्ट 3.6)**।

इसके अतिरिक्त, इन अनुदानों को बचत की प्रतिशतता के आधार पर **चार्ट 3.3** में समूहीकृत किया गया है, जिसमें छः अनुदानों (अनुदान संख्या 2, 4, 6, 7, 8 और 11) में ₹ 11,876.36 करोड़ की बचत हुई, जो कुल प्रावधान का 8 से 94 *प्रतिशत* था। तथापि, एक अनुदान (अनुदान संख्या 11) में ₹ 5,146.43 करोड़ (41 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

चार्ट 3.3: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

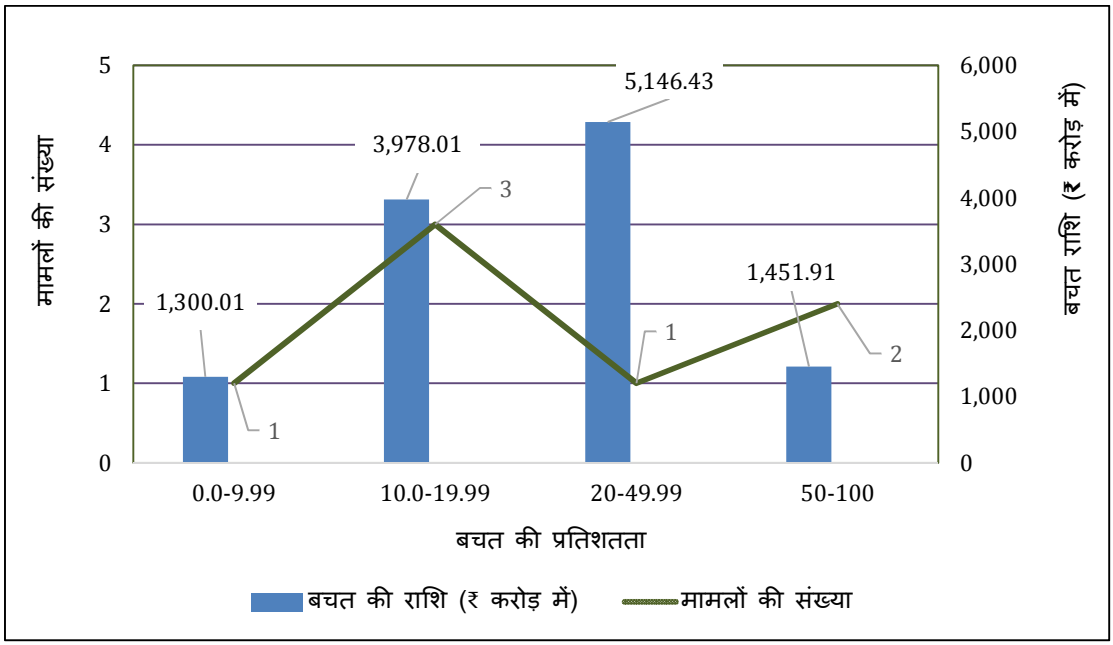

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नौ अनुदानों में कुल ₹ 12,969.72 करोड़ की बचत हुई, जिसमें ₹ 6,763.76 करोड़ की राशि अभ्यर्पित कर दी गई और ₹ 6,205.96 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) की कुल बचत मार्च 2024 के अंत में व्यपगत हो गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में बताया गया है।

पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रशासित 15 अनुदानों में से 10 के अंतर्गत संबंधित वित्त वर्ष के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत व्यपगत हो गई। इसके अतिरिक्त देखा गया कि इन 10 अनुदानों में से आठ में सभी पांच वर्षों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे **(परिशिष्ट 3.8)**।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों को प्राप्त करने के लिए संतुलन बनाए रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमज़ोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे **तालिका 3.3** में दी गई है:

तालिका 3.3: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

खंड	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत(-)	बचत जो 31 मार्च 2024 को	
						आधिक्य (+)	व्यपगत हो गई	
							राशि	कुल बचत का *प्रतिशत*
दत्तमत	I. राजस्व	53,431.99	1,623.28	55,055.27	47,479.63	(-)7,575.64	5,373.39	70.93
	II. पूंजीगत	11,636.67	632.10	12,268.77	6,716.00	(-)5,552.77	1,461.48	26.32
	III. ऋण एवं अग्रिम	5,086.92	605.35	5,692.27	3,639.28	(-)2,052.99	1,488.72	72.51
कुल दत्तमत		**70,155.58**	**2,860.73**	**73,016.31**	**57,834.91**	**(-)15,181.40**	**8,323.59**	**54.83**
प्रभारित	I. राजस्व	3,679.12	21.13	3,700.25	3,614.25	(-)86.00	40.20	46.74
	II. पूंजीगत	52.81	108.56	161.37	148.02	(-)13.35	12.60	94.45
	सार्वजनिक ऋण	5,040.29	0.01	5,040.30	4,993.69	(-)46.61	0.01	0.025
	III. ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		**8,772.22**	**129.70**	**8,901.92**	**8,755.96**	**(-)145.96**	**52.81**	**36.18**
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**78,927.80**	**2,990.43**	**81,918.23**	**66,590.87**	**15,327.36**	**8,376.40**	**54.65**

स्रोत: विनियोग लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है:

तालिका 3.4: 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	60,000.00	65,000.00	69,000.00	75,829.94	78,927.80
अनुपूरक बजट	4,180.68	891.87	3,081.08	3,298.34	2,990.43
कुल बजट (टीबी)	64,180.68	65,891.87	72,081.08	79,128.28	81,918.23
संशोधित अनुमान (आरई)	54,800.00	59,000.00	67,000.00	72,500.00	74,900.00
वास्तविक व्यय (एई)	51,510.03	52,895.76	61,542.00	65,012.57	66,590.87
बचत/आधिक्य	12,670.65	12,996.11	10,539.08	14,115.71	15,327.36
मूल प्रावधान के अनुपूरक की प्रतिशतता	6.97	1.37	4.47	4.34	3.79
कुल प्रावधान के बचत/आधिक्य की प्रतिशतता	19.74	19.72	14.62	17.84	18.71
टीबी-आरई	9380.68	6,891.87	5081.08	6,628.28	7,018.23
आरई-एई	3289.97	6,104.24	5458.00	7,487.43	8,309.13
(टीबी-आरई) टीबी की प्रतिशतता के रूप में	14.62	10.46	7.05	8.38	8.58
(आरई-एई) टीबी की प्रतिशतता के रूप में	5.13	9.26	7.57	9.46	10.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट एक नज़र में और विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, संशोधित अनुमानों की प्रतिशतता के रूप में बचत पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं और 2023-24 के दौरान 10.14 *प्रतिशत* पर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गईं। इसके अतिरिक्त, कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में बचत 18.71 *प्रतिशत* रहीं।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण

सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलों को योजना के दिशा-निर्देशों/तरीकों को मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में काम शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इससे लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी योजनाओं में बचत से अन्य विभागों को वह धन नहीं मिल पाता जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

यह देखा गया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 76 उप-शीर्षों में ₹ 1,270.46 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) का संशोधित परिव्यय था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो सका, जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। संपूर्ण संशोधित प्रावधान का उपयोग न किए जाने के कारण जो योजनाएं शुरू नहीं हो पाईं, वे थीं - (i) अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान (₹ 438.24 करोड़) (ii)एमआरटीएस को अन्य अनुदान (₹ 200.00 करोड़) (iii) चंद्रावल डब्ल्यूटीपी जेआईसीए (केंद्रीय हिस्सा) के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (₹ 200.00 करोड़) (iv) डीएमआरटीएस के लिए विदेशी सहायता (जेआईसीए ऋण) पर विदेशी मुद्रा भिन्नता को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान (₹ 100.00 करोड़) (v) खाद्यान्नों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए (सीएसएस) के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन (₹ 49.55 करोड़) (vi) शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस) (₹ 24.53 करोड़)।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि नौ अनुदानों के अंतर्गत 72 उप-शीर्षों में मूल बजट **(परिशिष्ट 3.10)** में ₹ 3,063.31 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) का प्रावधान किया गया। परंतु वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित परिव्यय में उक्त राशि पूरी तरह से वापस ले ली गई।

3.4.3 व्यय की अधिकता

जीएफआर, 2017 के नियम 62(3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम महीने यानी मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2023-24 के दौरान ₹ 65,823.87 करोड़ के कुल निवल व्यय में से, ₹ 19,155.56 करोड़ (कुल बजट का 23.38 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में हुआ, जबकि ₹ 8,063.27 करोड़ (कुल बजट का 9.84 *प्रतिशत*) का व्यय मार्च, 2024 के महीने के दौरान हुआ।

अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषकर मार्च माह के दौरान व्यय की अधिकता, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों के पालन न होने का संकेत भी देती है।

i) उप-शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2024 में किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुदान सं. 8- समाज कल्याण के अंतर्गत दो उप-शीर्षों में मार्च 2024 में ₹ 294.50 करोड़ का संपूर्ण व्यय किया गया, जैसा कि **तालिका 3.5** में बताया गया है:

तालिका 3.5: शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2024 में किया गया

क्रम. सं.	अनुदान सं. और नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 *प्रतिशत* व्यय (₹ करोड़ में)
1	8-समाज कल्याण	3055.001.90.99.00.33-रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	50.00
2		7055.001.90.96.00.55 एमआरटीएस के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण	244.50
कुल			**294.50**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

ii) केवल मार्च में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय वाले अनुदान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 22 उप-शीर्षों में ₹ 1,286.17 करोड़ का व्यय मार्च, 2024 में हुआ, जो कुल व्यय का 50.66 से 97.70 *प्रतिशत* तक था जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

3.4.4 व्यय एवं प्राप्तियों की मासिक स्थिति

नीचे दिए गए **चार्ट 3.4** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माहवार प्राप्तियां ₹ 56,896.04 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 7.32 *प्रतिशत* (अगस्त 2023) से 9.61 *प्रतिशत* (सितंबर 2023) के बीच रहीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. का माहवार व्यय ₹ 65,823.87 करोड़ के निवल व्यय का 5.52 *प्रतिशत* (अप्रैल 2023) से 12.64 *प्रतिशत* (मई 2023) के बीच रहा।

चार्ट 3.4: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मासिक प्राप्तियां एवं व्यय

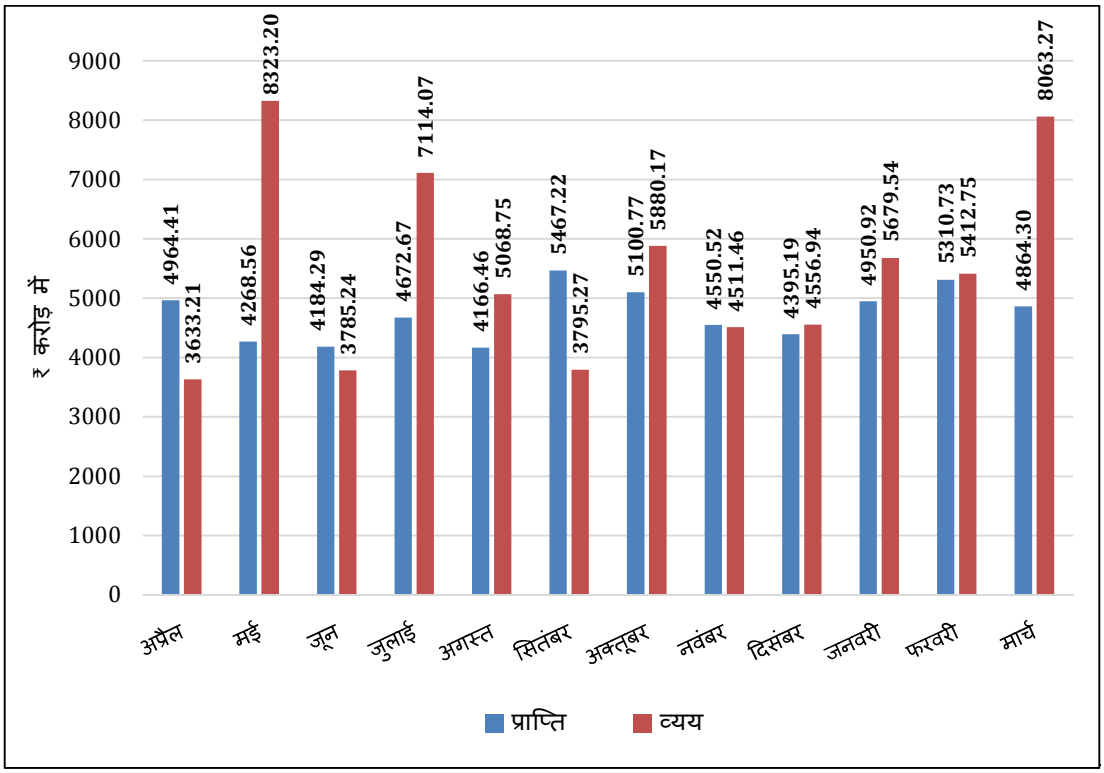

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण")

"अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण" के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक मांगों एवं वास्तविक व्यय में भिन्नताओं के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

क) परिचय

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुदान संख्या 08-'समाज कल्याण' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई ताकि बजट प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी और अनुदान के भीतर नियंत्रण तंत्र का पता लगाया जा सके। अनुदान में निम्नलिखित लेखा शीर्ष शामिल हैं, अर्थात्, (i) 2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (ii) 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, (iii) 2041-वाहनों पर कर, (iv) 3055-सड़क परिवहन, (v) 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, (vi) 3452-पर्यटन और (vii) 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।

ख) बचत

अनुदान संख्या 08-'समाज कल्याण' के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की बचत की समग्र स्थिति नीचे **चार्ट 3.5** में दी गई है:

चार्ट 3.5: पिछले तीन वर्षों के लिए बचत

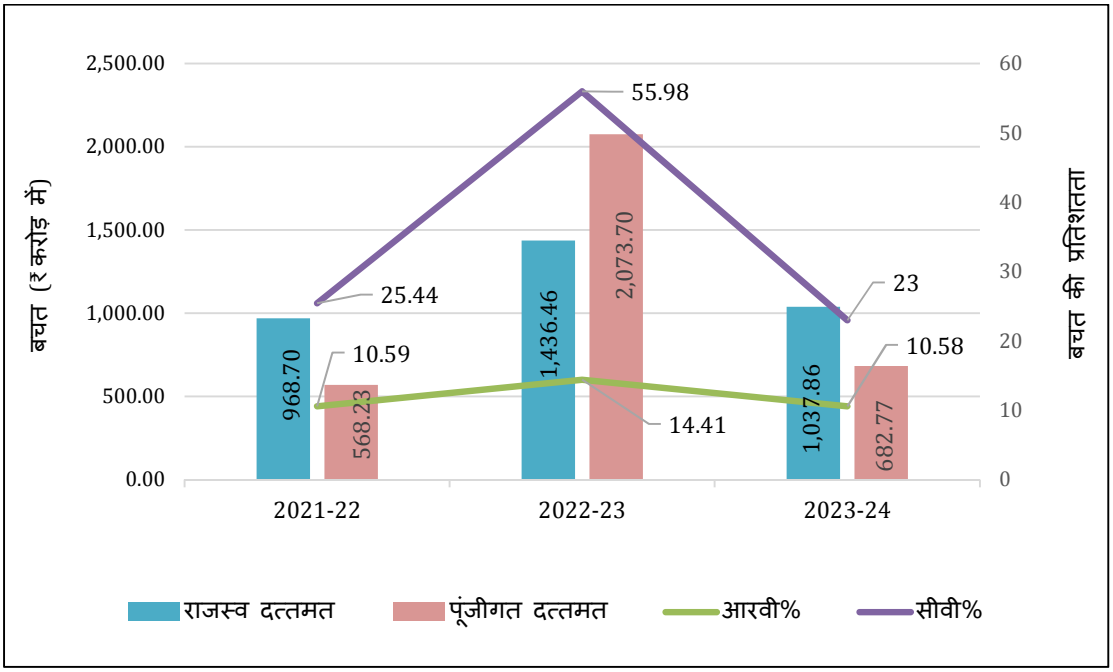

स्रोत: वित्तियोग लेखे

चार्ट 3.5 पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान को 23 *प्रतिशत* (2023-24) से लेकर 55.98 *प्रतिशत* (2022-23) तक दर्शाता है, जो कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संसाधनों का महत्वपूर्ण रूप से कम उपयोग है और विभाग द्वारा निरंतर अपर्याप्त नियोजन का संकेत है। इन वर्षों के दौरान तीन वर्षों के लिए राजस्व (दत्तमत) बचत 10.58 *प्रतिशत* से 14.41 *प्रतिशत* के बीच रही।

ग) बचत का अभ्यर्पण न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 62 (2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसका पूर्वानुमान होते ही उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, तुरंत अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अतिरिक्त व्यय के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखनी चाहिए। वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुदान -08- समाज कल्याण के अंतर्गत बचत और अभ्यर्पण की स्थिति इस प्रकार थी:

तालिका 3.6: अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत बचत का अभ्यर्पण न करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत			अभ्यर्पित की गई राशि (प्रतिशतता में)		
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)
2021-22	968.70	0.04	568.23	137.63	0	438.75
				(14.20)	(0)	(77.21)
2022-23	1,436.46	0.03	2,073.70	749.71	0	102.96
				(52.19)	(0)	(4.96)
2023-24	1,037.86	3.27	682.77	0.18	0	0.03
				(0.01)	(0)	(0)

स्रोत: विनियोग लेखे

घ) निरंतर बचत

यह देखा गया कि 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण के अंतर्गत नौ उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट आबंटन का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहा, जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-प्राप्ति को दर्शाता है:

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत निरंतर बचत

((₹ करोड़ में (प्रतिशत))

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
	राजस्व खंड			
1	22350310198 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	11.67	44.5	31.98
		(26.22)	**(100)**	**(70.75)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: भारत सरकार से सी.एस.एस. निधि की कमी/गैर-प्राप्ति				
2	2235021031298- समर्थ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (राज्य का हिस्सा)	2.89	5.24	17.30
		(11.05)	**(20.29)**	**(96.11)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: भारत सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से का कम आबंटन				
3	22350210466 वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार)	1.07	89.80	43.10
		(0.08)	**(6.91)**	**(3.59)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: मृत्यु और पीएफएमएस रिटर्न अर्थात बैंक द्वारा असंवितरित पेंशन रिटर्न और योजना के भीतर डुप्लिकेट मामलों को रोकना, आईजीएनओएपीएस के तहत रिक्तियों को नहीं खोलना, लाभार्थियों को टॉप-अप राशि का प्रेषण नहीं करना।				
4	2235021021796 पोषण मिशन	12.53	10.76	6.8
		(86.6)	**(60.8)**	**(28.85)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 की केवल तीन तिमाहियों के लिए धनराशि जारी की गई, इसलिए बचत हुई।				
5	22350210334 विधवाओं को पेंशन	18.08	24.85	11.07
		(2.01)	**(2.42)**	**(1.01)**
शीर्षवार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: पी.एफ.एम.एस. पर वर्तमान लाभार्थियों को भुगतान हेतु कार्रवाई न करना, अपर्याप्त बजट, योजना के लिए कम संख्या में लाभार्थियों ने आवेदन किया तथा आधार डीसीडिंग के कारण कुछ सहायता राशि वापस लौट गई।				
6	22350278996 विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी)	75.75	72.85	2.23
		(78.9)	**(72.85)**	**(6.56)**

((₹ करोड़ में (प्रतिशत))

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: योजना के लिए कम संख्या में लाभार्थियों ने आवेदन किया तथा आधार डीसीडिंग के कारण कुछ सहायता वापस लौट गई।				
7	22250178975 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (एससीएसपी)	23.00	1.92	3.69
		(70.12)	**(24)**	**(73.80)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: आवेदनों की कम प्राप्ति, क्योंकि योजना पहली बार शुरू की गई थी, शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सत्यापित आवेदनों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त मांग उठाई गई।				
8	22250327775 अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	37.79	4.86	3.81
		(89.98)	**(100)**	**(100)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर थी, कोविड-19 तथा दिल्ली में प्रदूषण के कारण भौतिक कोचिंग कक्षाओं के संचालन में विभिन्न रुकावटें आईं।				
9	20410010100 संग्रहण शुल्क	14.45	4.24	13.98
		(20.57)	**(6.45)**	**(20.68)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: रिक्तियां, कम दावे/बिल, कम विदेशी दौरे और कम खरीद				

स्रोत: विनियोग लेखे

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बजट की प्रतिशतता दर्शाते हैं

ड.) निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में, जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण के लिए विनियोग लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 36 उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 3.12** में बताया गया है) के अंतर्गत पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके थे।

राजस्व दत्तमत/पूंजीगत दत्तमत खंड के अंतर्गत उप-शीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- संवीक्षा से पता चला कि राजस्व दत्तमत खंड के 14 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 13.85 करोड़ (2021-22), 6 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 17.57 करोड़ (2022-23) और 15 उप-शीर्षों (2023-24) के अंतर्गत ₹ 263.92 करोड़ का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके थे।
- संवीक्षा से पता चला कि पूंजीगत दत्तमत खंड के एक उप-शीर्ष (2022-23) के अंतर्गत ₹ 0.2 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था।

च) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

पिछले तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए अनुदान संख्या 8 की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था, परंतु उक्त अवधि के दौरान आबंटित बजट के प्रति इन उप-शीर्षों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं में किए गए प्रावधान की पूरी राशि की बचत हुई। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है। यह भी देखा गया कि ऐसी कई सामान्य योजनाएं थीं जिनमें वर्ष दर वर्ष प्रावधान किया गया था परंतु उक्त अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

छ) व्यय की अधिकता:

जीएफआर और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में प्रदत्त प्रावधानों के उल्लंघन में, वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में 11 उप-शीर्षों में कुल व्यय का 50 से 100 *प्रतिशत*, वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में तीन उप-शीर्षों में कुल व्यय का 71.34 से 100 *प्रतिशत* और वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा पांच उप-शीर्षों में 51.46 से 100 *प्रतिशत* तक व्यय किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.14** में दर्शाया गया है।

2021-22 से 2023-24 की अवधि तक विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय की अधिकता उपर्युक्त सभी 19 उप-शीर्षों में 50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक रही, जो अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देती है।

3.6 वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं

वाउचरों की लेखापरीक्षा के लिए, सात वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् पीएओ-III, XI, XIV, XV, XX, XXIII, XXV (विस्तृत समीक्षा के लिए चुने गए अनुदान अर्थात अनुदान संख्या 8 समाज कल्याण का संचालन करने वाले) को मौद्रिक इकाई नमूनाकरण के माध्यम से वाउचरों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। चार पीएओ में कोई ठोस अभ्युक्ति नहीं पाई गई और शेष तीन पीएओ में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

3.6.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-XI

लेखापरीक्षा के लिए वाउचर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल 61 वाउचरों में से 23 वाउचर (38 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 3.15** में दर्शाया गया है।

3.6.2 वेतन एवं लेखा कार्यालय-XIV एवं XV

सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने के कारण ₹ 3.57 लाख का अधिक भुगतान हुआ

घरों और संस्थाओं में सुरक्षा गार्ड, वार्ड मेड और सफाई कर्मचारियों जैसे जनशक्ति को काम पर रखने के लिए की गई संविदा (मेसर्स आरडी एक्सीलेंट, मेसर्स सुलभ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर्मर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्वच्छता मिशन फाउंडेशन, मेसर्स ईगल आई और मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज) में विनिर्दिष्ट है कि सेवा शुल्क में जीएसटी शामिल होगा। कर्मचारियों को काम पर रखने संबंधी विभिन्न वाउचर/बिलों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने इन एजेंसियों को 9 *प्रतिशत* सीजीएसटी और 9 *प्रतिशत* एसजीएसटी सहित भुगतान किया।

इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने से सेवा प्रदाताओं को सेवा शुल्क पर पीएओ-XIV के संबंध में ₹ 2.29 लाख **(परिशिष्ट 3.16)** और पीएओ-XV के संबंध में ₹ 1.28 लाख **(परिशिष्ट 3.17)** का सीजीएसटी और एसजीएसटी का अधिक भुगतान किया गया।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (फरवरी 2025) कि वेतन एवं लेखा कार्यालय-XIV और XV ने मामले को उठाया था और विक्रेताओं को अधिक राशि जमा करने को कहा था।

3.7 राज्य बजट का केंद्रीय बजट के साथ विश्लेषण

जेंडर बजट, चाइल्ड बजट, आउटकम बजट, मध्यम अवधि विवरण आदि से संबंधित केंद्रीय बजट और रा.रा.क्षे.दि.स. बजट में उनके अंगीकरण के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें उजागर हुईं:

i. केंद्र सरकार के जेंडर बजट के विपरीत, रा.रा.क्षे.दि.स. के जेंडर बजट में ऐसी योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसके तहत 30 *प्रतिशत* तक आबंटन महिलाओं को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र में जेंडर बजट को

मांग/अनुदान-वार आबंटित किया गया था, जबकि दिल्ली सरकार ने जेंडर बजट में विभागवार आबंटन किया था।

ii. केंद्रीय बजट के विपरीत, रा.रा.क्षे.दि.स. में कोई अलग चाइल्ड बजट नहीं है और यह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जेंडर बजट का एक हिस्सा है।

iii. रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट में कोई मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण नहीं है, क्योंकि राज्य केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

3.8 सिफारिशें

(i) सरकार को अधिक बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करना चाहिए;

(ii) सरकार को अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए;

(iii) सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कार्यनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है; तथा

(iv) सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए आवधिक निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।